न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट

पीठासीन अधिकारी :— डॉ.अर्चना व्यास (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 04/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जगदीशप्रसाद पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी फतेहसागर तहसील लोहावट जिला फलौदी।		1. मुकेश लोहिया पुत्र श्यामसुन्दर जाति माहेश्वरी निवासी लोहावट विश्नावास तहसील लोहावट जिला फलौदी।
		2. तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धार 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :—प्रार्थीगण की ओर से :—अधिवक्ता श्री अशोक कुमार कड़वासरा ।
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महीराम विश्नोई।

—:: निर्णय ::— दिनांक 09.03.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की भूमि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल भीकमकोर के राजस्व ग्राम भीकमकोर के खसरा नम्बर 2804/2788 रकबा 0.9765 हैक्टेयर एवं अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2805/2788 रकबा 0.9764 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी जमीन के कणा माठ के सीमाचिन्ह नदारद होने के कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश किये जाने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार लोहावट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने अपने आदेश कमांक 19/165 दिनांक 03.11.2023 से हल्का पटवारी को सीमाकन किये जाने का आदेश पारित किया। तहसीलदार लोहावट के सीमाज्ञान आदेश की पालना में हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 06.11.2023 को सीमाज्ञान कर कच्चा मुठाम बताकर सीमाज्ञान किया। सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी ने अपने खेत की सीमा पर पत्थर रोपकर जाली तारबन्दी करना चहा लेकिन पड़ौसी खातेदारो ने पत्थर रोपने में विवाद करना शुरू कर दिया। प्रार्थी के खेत की पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में बोई जाने वाली फसल की सुरक्षा नही कर पा रहा है और न ही अपनी भूमि का विकास कार्य करवा पा रहा है खेत बोई जाने वाली फसल को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट कर दी जाती है। जिससे मजबुर विवश होकर प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि में बोई जाने वाली फसल की सुरक्षा के लिए पत्थरगढी करवाये जाने का यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 कि ओर अधिवक्ता श्री महीराम विश्नोई ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली पर बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त भूमि में बोई फसल एंव प्राकृतिक पैदावार की सुरक्षा आवारा जानवरों से स्थायी तारबंदी जाली के अभाव में नही होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है एवं इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है और न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाने है। इसलिए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलौदी

Scanned with CamScanner

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लोहावट को आदेश दिये जाते है कि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल भीकमकोर के राजस्व ग्राम भीकमकोर के खसरा नम्बर 2804 / 2788 रकबा 0.9765 हैक्टेयर एवं अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2805 / 2788 रकबा 0.9764 हैक्टेयर भूमि की सीमाओ का राजस्व टीम गठीत करवाकर, नियमानुसार सीमांकन किया जाकर सीमाज्ञान चिन्हित कर मौके पर आवश्यक होने पर शान्ति व्यवस्था के लिए संबंधित पुलिस थाना से ईमदाद ली जाकर उपरोक्त खसरा की सीमाओं की पत्थरगढी करवायी जावें।

निर्णय आज राष्ट्रीय लोक अदालत में सरे इजलास दिनांक 09/03/24 को सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी ... जिला फ...

डॉ अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

उपखण्ड अधिकारी लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner